

सुरक्षति कार्यस्थल

यह एडिटरियल 28/04/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Social Dialogue for Safe Workplaces" लेख पर आधारित है। इसमें उन उपायों के बारे में चर्चा की गई है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किये जा सकते हैं।

संदर्भ

पछिले दो वर्षों में कोविड-19 के कारण छह मिलियन से अधिक मौतों के साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चर्चा के प्रमुख विषय रहे हैं।

- चूँकि विभिन्न उद्योगों में दुर्घटनाओं, आघात और बीमारियों की स्थिति बिनती रहती है (जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शर्मकों एवं उनके परिवारों की सेहत को प्रभावित करते हैं), किसी भी कार्यस्थल पर नवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।
- महामारी से आहत कार्य विश्व को अधिक मानव-केंद्रित और प्रत्यास्थी तरीके से आगे ले जाने के लिये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health- OSH) तंत्र को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे कार्यस्थल स्थापित हो सकें जो कामगारों के लिये खतरनाक नहीं हों।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की स्थिति

- वैश्विक स्तर पर अनुमानतः 2.9 मिलियन मौतों और 402 मिलियन गैर-घातक आघातों के लिये व्यावसायिक दुर्घटनाएँ एवं बीमारियाँ ज़िम्मेदार हैं।
 - व्यावसायिक दुर्घटनाएँ एवं बीमारियाँ प्रतविर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 5.4% की लागत रखती हैं।
 - वे कार्यस्थल पर अधिकाधिक उपस्थिति (Presenteism) - जहाँ वे कम प्रभावशीलता से कार्यरत होते हैं, स्थायी निःशक्तता से संबद्ध उत्पादकता हानि और स्टाफ-टर्नओवर लागत (अर्थात कुशल कर्मचारियों की हानि) के रूप में असर दिखाते हैं।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की स्थिति

- उपलब्ध सरकारी आँकड़े वनिरमाण और खनन क्षेत्रों में व्यावसायिक चोटों में गरिवट की प्रवृत्तको दर्शाते हैं।
 - हालाँकि उल्लेखनीय है कि शर्म ब्यूरो के आँकड़ों के विश्लेषण में अपजिकृत कारखानों और खानों को कवर नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2011-16 के दौरान भारत में सरकार को रिपोर्ट किये गए व्यावसायिक रोगों के मामलों की संख्या केवल 562 थी।
 - इसके विपरीत, नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया, 2016 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक लेख सलिकोसिस (silicosis) और बायसिनोसिस (byssinosis) जैसे व्यावसायिक रोगों के प्रसार की पुष्टि करता है।
 - बायसिनोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो काम के दौरान कपास के फाहों या सन, पटसन या सीसल जैसे अन्य वनस्पति फाइबर के सूक्ष्म कणों के साँस द्वारा अंदर जाने से उत्पन्न होती है।
- हालाँकि भारत में OSH कवरेज बढ़ाने हेतु कुछ अच्छे अभ्यास भी अपनाए गए हैं।
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने नयिकताओं और कामगारों के सहयोग से धातु और परधिन गृह-आधारित कामगारों के लिये सहभागी OSH प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की हैं।
 - इनमें से अधिकांश कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबद्ध हैं और अन्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलों की पहुँच से बाहर हैं।
 - केरल सरकार ने ILO की सहभागी OSH प्रशिक्षण पद्धतियों को लागू किया है और OSH सुधारों के लिये छोटे नरिमाण स्थलों तक पहुँच बनाई है।
 - राजस्थान सरकार ने पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों में फेफड़ा रोगों से बचाव के लिये कामगारों और नयिकताओं के बीच OSH जागरूकता का प्रसार किया है।

OSH को बढ़ावा देने के लिये की गई प्रमुख पहलें

- वर्ष 2003 से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 28 अप्रैल की तथि को 'कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये विश्व दविस' घोषित कर रखा है ताकतिरपिकषीयता और सामाजिक संवाद की हमारी शकती का लाभ उठाकर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर बल दया जा सके।
 - वर्ष 2022 के लिये इस दविस का थीम है: "सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृती के नरिमाण के लिये मलिकर कार्य करना" (Act together to build a positive safety and health culture)।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभसिमयों— श्रम नरीकषण अभसिमय (Labour Inspection Convention), 1947 और श्रम सांख्यिकी अभसिमय (Labour Statistics Convention) 1985 की पुष्टी कर रखी है।
- भारत सरकार ने फरवरी 2009 में 'कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीती' (National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace) की घोषणा की और वर्ष 2018 में उपलब्ध OSH जानकारी को राष्ट्रीय OSH प्रोफाइल के रूप में संकलित कया।
- रणनीतिक राष्ट्रीय OSH कार्यक्रम (National OSH Programme) शुरू कया जाना एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है।
- 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020' (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) नयिकताओं और कर्मचारियों के कर्तव्यों का वर्णन करती है और वभिनिन कषेत्रों के लिये सुरक्षा मानकों की परकिलपना करती है, जहाँ कामगारों के स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति, काम के घंटे, छुट्टी आदी पर ध्यान केंद्रित कया गया है।
 - यह संहिता संवदि कर्मियों के अधिकारों को भी मान्यता देती है।
 - संहिता नयित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा और मज़दूरी जैसे सांघिकी लाभ प्रदान करती है।

सुरक्षति कार्यस्थल सुनश्चिति करने से संबद्ध समस्याएँ

- **रपौरटगि प्रणाली का पूर्ण उपयोग नहीं:** पीड़ितों के उपचार और सुरक्षति एवं स्वस्थ कार्यस्थलों के नरिमाण हेतु प्रभावी रोकथाम नीतियाँ बनाने के लिये एक विश्वसनीय व्यावसायिक दुर्घटना एवं रोग रपौरटगि प्रणाली का होना महत्त्वपूर्ण है।
 - जबकि भारत में ऐसा तंत्र मौजूद है, इसका कम उपयोग कया जाता है, जहाँ चोटों, दुर्घटनाओं और बीमारियों के कई मामले दर्ज ही नहीं कये जाते।
 - स्वाभाविक रूप से घातक चोटों की तुलना में गैर-घातक चोटों के मामले में अंडर-रपौरटगि की अधिक संभावना बनी रहती है।
 - लघु स्तर के उद्योगों में औद्योगिक चोटों की बड़े पैमाने पर कम रपौरटगि की स्थिति पाई जाती है।
- **व्यावसायिक रोगों के बारे में जागरूकता की कमी:** वभिनिन व्यावसायिक रोगों और कार्यस्थल के खतरों एवं जोखिमों के संबंध में प्रशिक्षित चकितिसकों की कमी है।
 - कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण चकितिसकों द्वारा गलत नदिन की स्थिति भी बनती रहती है।
- **दायरे के अंतर्गत उद्योगों की सीमति संख्या:** श्रम ब्यूरो केवल कुछ कषेत्रों (कारखाना, खदान, रेलवे, डॉक और बंदरगाह) से संबंधित औद्योगिक आघातों पर ही डेटा का संकलन एवं प्रकाशन करता है।
 - नकिया ने अभी तक वृक्षारोपण, नरिमाण, सेवा कषेत्र जैसे अन्य कषेत्रों को शामिल कर चोटों के आँकड़ों के दायरे का वसितार नहीं कया है।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनश्चिति करने के लिये क्या कया जा सकता है?

- **OSH - समति, अनुपालन और डेटा का संग्रह:** व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 का प्रभावी करयान्वयन OSH सुरक्षा का वसितार करेगा, विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों के लिये जो भारत के कार्यबल के लगभग 90% भाग का नरिमाण करते हैं।
 - संहिता को सक्रिय कार्यस्थल OSH समतियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये और खतरों की पहचान करने और OSH में सुधार लाने के लिये कामगारों को संलग्न करना चाहिये। OSH जोखिमों की पहचान और समाधानों के करयान्वयन में कामगार ही अग्रिमि पंक्ति के कार्यकर्ता होते हैं।
 - यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत प्रभावी हस्तकषेप की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिये कुशल OSH डेटा संग्रहण प्रणाली स्थापित करे।
- **जन जागरूकता:** कार्य संबंधी दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को रोकने और खतरनाक कार्यस्थल माहौल में सुधार के लिये जन जागरूकता को भी प्रोत्साहित कया जाना चाहिये।
 - भारत को कामगारों और नयिकताओं के लिये मज़बूत राष्ट्रीय अभयानों और जागरूकता का प्रसार करने वाली गतिविधियों का संचालन करना चाहिये।
 - युवा लोग विशेष रूप से OSH जोखिमों के प्रतिसंवेदनशील होते हैं और उन्हें OSH समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका नभाने की आवश्यकता है।
- **सरकारों की भूमिका:** राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को सभी संबंधित मंत्रालयों को संलग्न करते हुए यह सुनश्चिति करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एजेंडा में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए।
 - इसके लिये OSH, खतरों एवं जोखिमों के ज्ञान और उनके नयितरण एवं रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में सामान्य जागरूकता के प्रसार के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।
 - राज्य स्तर पर श्रमिक संगठनों और नयिकता संगठनों को द्वपिकषीय चर्चा के माध्यम से कार्यस्थल की चोटों और बीमारियों से सुरक्षा सुनश्चिति करने हेतु अपनी आपूर्ति शृंखला के हर स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिये।
- **सामाजिक संवाद:** अनुपालन में सुधार के लिये सामाजिक संवाद आवश्यक है और यह स्वामित्व के नरिमाण एवं प्रतबिद्धता को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है जो फरि OSH नीतियों के शीघ्र एवं प्रभावी करयान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है।
 - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को उचित रूप से संबोधित कर सकने के लिये (इसकी रोकथाम के लिये पर्याप्त नविश के माध्यम से) एक सुदृढ़ सामाजिक संवाद तंत्र एक सुरक्षति एवं स्वस्थ कार्यबल के नरिमाण में योगदान देगा और उन उत्पादक उद्यमों का समर्थन करेगा जो संवहनीय अर्थव्यवस्था के आधार का नरिमाण करते हैं।

अभ्यास प्रश्न: उन उपायों की चर्चा कीजिये जो एक ऐसी कार्य संस्कृति स्थापति करने के लिये किये जा सकते हैं जो अधिक मानव-केंद्रित होंगे और सभी कामगारों के लिये नविकरक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/safe-workplace>

